



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

HQRS/Coord/Sports-Class X/XII/2025/

दिनांक: 15/09/2025

सेवा में,
प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख,
सीबीएसई से संबद्ध स्कूल
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: केवल राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने वाले कक्षा X और XII के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान।

महोदया/महोदय,

चूँकि भारत सरकार ने युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं, इसलिए सीबीएसई ने भी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर 'स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा' को मुख्यधारा में शामिल किया है। इसके लिए, प्रतिदिन खेल, खेल कूद, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, योग और सीबीएसई स्पोर्ट्स आदि के लिए एक अनिवार्य पीरियड (कक्षा) शुरू किया गया है।

युवाओं के बीच खेलों और अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए, सीबीएसई उन उम्मीदवारों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान कर रहा है जो कक्षा XII की सीबीएसई परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग ले रहे हैं:

1. मार्च 2018 से, सीबीएसई उन छात्रों को एक विशेष अवसर प्रदान कर रहा है, जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग ले रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएँ बाद की किसी तारीख को विशेष रूप से आयोजित की जाती हैं, यदि उनकी परीक्षा की तारीखें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तारीखों (जिनमें यात्रा की तारीखें भी शामिल हैं) से टकराती हैं। ये खेल आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए।
2. मार्च 2020 से, सीबीएसई उन छात्रों को भी एक विशेष अवसर प्रदान कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएँ बाद की किसी तारीख को विशेष रूप से आयोजित की जाती हैं, यदि उनकी परीक्षा की तारीखें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की तारीखों (जिनमें यात्रा की तारीखें भी शामिल हैं) से टकराती हैं। ये ओलंपियाड भारत में उपयुक्त प्राधिकरण, जैसे कि होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

इस पहल के माध्यम से, सीबीएसई यह सुनिश्चित करता है कि जो छात्र शिक्षा और खेल, दोनों क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें; जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके विकास के किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा न हो।

ये पहल छात्रों को फिट और स्वस्थ रहने में मदद करती हैं, साथ ही उन्हें अनुशासन, टीम वर्क और कड़ी मेहनत जैसे मूल्य भी सिखाती हैं। सीबीएसई हमेशा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करने के लिए काम करता है, जिसमें वह पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों दोनों को समान महत्व देता है।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

नए परिदृश्य में कक्षा-X के लिए योजना

उपरोक्त के संदर्भ में, यह बताया जाता है कि सीबीएसई ने कक्षा X के लिए 'दो बोर्ड परीक्षा' नीति शुरू की है, जिसे परिपत्र CBSE/CE/2-Board Examinations-X/2025 दिनांक 25/6/2025 के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है।

'दो बोर्ड परीक्षा' प्रणाली (पहली परीक्षा फरवरी 2026 के मध्य से शुरू होगी और दूसरी मई 2026 में) के आलोक में, कक्षा X के खेल-कूद (sports) वाले छात्रों के लिए विशेष परीक्षा अब केवल मई 2026 के महीने में होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही आयोजित की जाएगी। इसलिए, स्कूलों को निम्नलिखित बातों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए: -

सामान्य शर्तें: -

1. इन छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु एलओसी (उम्मीदवारों की सूची) भरना अनिवार्य है।
2. खेल-कूद वाले छात्रों को केवल उन्हीं विषयों की दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी, जिनकी परीक्षा की तारीखें उनके खेल आयोजन या यात्रा के साथ टकरा रही हों।
3. पहली बोर्ड परीक्षा या दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद कोई अलग से खेल परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
4. यदि कोई खेल-कूद वाला छात्र दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठता है और 'कम्पार्टमेंट' श्रेणी में आ जाता है, तो ऐसे छात्रों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा अगले वर्ष फरवरी/मार्च में आयोजित की जाएगी।
5. नीति के अनुसार, पहली परीक्षा से छूट पाने के लिए सीबीएसई से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

सभी स्कूलों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करें: -

1. इन बदलावों के बारे में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को काफी पहले से सूचित करें।
2. सीबीएसई की समय-सीमा के अनुसार, आंतरिक मूल्यांकन के अंक समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. सीबीएसई स्कूलों के साथ-साथ छात्रों की सुविधा के लिए, विषयों के अधिकतम संयोजनों के संबंध में एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) जारी करेगा।
4. खेल आयोजनों में भाग लेने वाले सभी छात्रों के लिए एलओसी (उम्मीदवारों की सूची) को अन्य छात्रों की सूची के साथ ही पूरा किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यदि परीक्षा की तारीखें उनके खेल आयोजनों के साथ टकराती हैं, तो वे दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने के पात्र हों।
5. स्कूलों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल घटक और छात्रों के रिकॉर्ड अद्यतन हों और निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप हों।

कक्षा XII के लिए योजना

कक्षा XII की योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिन छात्रों की यात्रा या खेल-कूद की प्रतियोगिता परीक्षा की तिथियों से टकराएगी, उन छात्रों के लिए ये परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाओं के समाप्त होने के बाद पुनः आयोजित की जाएंगी।

कक्षा X और XII दोनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) इस प्रकार हैं: -



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

क्र.सं.	गतिविधि	समय सारिणी
1.	छात्रों को बोर्ड की मुख्य परीक्षाओं में विशेष अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने स्कूल में अनुरोध जमा करना होगा।	ये गतिविधियाँ इस तरह से पूरी की जानी चाहिए कि स्कूल की सिफारिशें, भागीदारी प्रमाण पत्र के साथ, शैक्षणिक वर्ष के 15 दिसंबर तक सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुँच जाएँ।
2.	स्कूलों को SAI/BCCI/HBCSE से भागीदारी प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करना होगा।	
3.	स्कूलों को अपनी सिफारिशें, SAI/BCCI/HBCSE के "भागीदारी प्रमाण पत्र" के साथ, सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजनी होंगी।	
4.	क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित स्कूलों को अनुमोदन की सूचना देगा।	शैक्षणिक वर्ष के 30 दिसंबर तक।
5.	पुनर्निर्धारित परीक्षा का आयोजन	अधिमानतः, संबंधित वर्ष की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट में अंतिम परीक्षा की तारीख से 15 दिनों के भीतर।

इस अवसर का लाभ उठाने के प्रावधान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार होंगे:

- केवल SAI/BCCI द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों और HBCSE द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपियाड के लिए।
- केवल बोर्ड की उन मुख्य सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए, जो उस विशेष खेल/ओलंपियाड की प्रतियोगिता की तारीखों और प्रतियोगिता के लिए यात्रा की अवधि के दौरान पड़ती हैं।
- पूरक परीक्षाओं के लिए यह अवसर उपलब्ध नहीं होगा।
- प्रायोगिक परीक्षाओं/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के लिए यह अवसर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि ये लंबी अवधि तक चलते हैं और स्कूलों द्वारा अपने स्तर पर इन्हें पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।
- बोर्ड के नियमों से परे उपस्थिति में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- प्रशिक्षण/चयन शिविरों में भाग लेने के लिए यह अवसर उपलब्ध नहीं है।
- निर्धारित कार्यक्रम के बाद छूट के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- SAI/BCCI/HBCSE से "भागीदारी प्रमाण पत्र" निर्धारित प्रारूप में जमा करना आवश्यक होगा, जिसे केवल संबंधित संगठन के नोडल अधिकारियों द्वारा ही जारी किया गया हो।
- स्कूलों के प्रमुख/उत्तरदायी संगठन केवल उन्हीं छात्रों के लिए सिफारिशें आगे भेजेंगे/भागीदारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जिनके मामले इन निर्देशों/एसओपी के दायरे में पूरी तरह से आते हैं; और इन्हें सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाएगा।
- बोर्ड द्वारा तय किए गए विशेष परीक्षा के शेड्यूल के अलावा या उसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्तिगत छात्र के लिए कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
- SAI/BCCI/HBCSE अपनी वेबसाइट पर भागीदारी प्रमाण पत्र होस्ट करेंगे ताकि उसकी प्रति सत्यापन/क्रॉस-वेरिफिकेशन की जा सके।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

12. ऐसे उम्मीदवारों को पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि कक्षा-XII की परीक्षाओं के सभी विषय केवल एक ही दिन आयोजित किए जाते हैं।
13. भागीदारी प्रमाण पत्र संबंधित संगठनों के नोडल अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है।
14. बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और स्कूलों तथा छात्रों पर बाध्यकारी होगा।
15. इस नीति के विरुद्ध प्राप्त किसी भी अनुरोध पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, और गलत कार्रवाई के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए स्कूल जिम्मेदार होगा।
16. SAI/BCCI/HBCSE के मामले में भी यही स्थिति लागू होगी। यदि कोई सिफारिश बोर्ड की नीति के विरुद्ध पाई जाती है, तो उसे एक अमान्य अनुरोध माना जाएगा, जिसके लिए सीबीएसई जिम्मेदार नहीं होगा।
17. स्कूल के प्रधानाचार्य एक वचनपत्र देंगे कि आवेदन बोर्ड की नीति के अनुसार ही आगे भेजा गया है; और यदि यह पाया जाता है कि अनुरोध नीति के अनुरूप नहीं है, तो सीबीएसई द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, और सीबीएसई का निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा।
18. सीबीएसई किसी भी समय इन एसओपी (मानक संचालन प्रक्रियाओं) और नियमों में संशोधन कर सकता है।

यह देखा गया है कि अक्सर स्कूल और छात्र इस परिपत्र में दिए गए निर्देशों का पूरी सावधानी से पालन नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें इसमें प्रदान की गई विशेष सुविधाओं का लाभ उठाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूलों और छात्रों की सुविधा के लिए, एसओपी को स्पष्ट रूप से समझने हेतु 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQ) - अनुलग्नक-ई तैयार किया गया है।

स्कूल इन निर्देशों और एसओपी की जानकारी उन सभी छात्रों तक समय रहते पहुंचाएंगे, जिनके किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन/अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने की संभावना है, ताकि छात्र सीबीएसई की इस पहल का लाभ उठा सकें।

हस्ता/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

अनुलग्नकों की सूची:

- अनुलग्नक-ए: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और BCCI के नोडल अधिकारियों की सूची, साथ ही उनके अंतर्गत शामिल खेल विधाओं (Sports disciplines) की सूची।
- अनुलग्नक-बी: खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण पत्र का प्रारूप
- अनुलग्नक-सी: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण पत्र का प्रारूप
- अनुलग्नक-डी: होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE) द्वारा जारी भागीदारी प्रमाण पत्र का प्रारूप
- अनुलग्नक-ई: एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रतिलिपि नीचे दर्शाए गए संबंधित निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को भेजी जा रही है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों तक यह जानकारी पहुंचाएँ और उन्हें तदनुसार निवेदन प्रस्तुत करना का निर्देश दिया जाए:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016।
(commissioner-kvs@gov.in)
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा-201309।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

(nvsshww@gmail.com, commissioner.nvs @gov.in)

3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

(nests-tribal@tribal.gov.in, commissioner.nests @tribal.gov.in)

4. सचिव, सैनिक स्कूल सोसायटी, कमरा नं. 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001.

(pvpsainikschool@gmail.com)

5. महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003.

(dg-sai@gov.in)

6. नौसेना शिक्षा सोसायटी (एनईएस) नौसेना शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक V, विंग II, फ्लोर II, आर. के. पुरम, सेक्टर

1, नई दिल्ली 110066। (nesnavy@gmail.com)

7. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक स्कूल नयापल्ली, भुवनेश्वर,

ओडिशा-751005। (oavsbbsr.od@gov.in)

8. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली- 110054 diredu@nic.in

9. लोक अनुदेशन निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017 dpi-chd@nic.in

10. शिक्षा निदेशक, सरकार। सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम-737101।

(directorhehrdd@gmail.com)

11. स्कूल शिक्षा निदेशक, सरकार। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर 791111। (dirschdn@sify.com)

12. शिक्षा निदेशक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101. (dirschdn@sify.com)

13. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरी मंजिल, नागरिक सचिवालय, लेह-लद्दाख। (pr.sec@Ladakh.gov.in)

14. निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी सरकार, ए "ब्लॉक, प्रथम तल, पेरुनथलाईवर कामराज शताब्दी शैक्षिक परिसर, 100 फीट रोड, अन्ना नगर, पुडुचेरी-605.005।

(dse-edn@py.gov.in)

15. निदेशक, सम्भोटा तिब्बती स्कूल सोसायटी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। (dhe-sml-hp@gov.in)

16. ग्रुप कैप्टन शिक्षा (स्कूल) शिक्षा निदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-VI, एयर मुख्यालय (आरकेपी) आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066। (dopsmpr@iaf.nic.in)

17. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय एफडीआरसी भवन नं. 202, शंकर विहार (एपीएस के पास) दिल्ली कैंट-110010।

(coordsection.aweshq@awesindia.edu.in)

18. अध्यक्ष के उप सचिव को अध्यक्ष, सी. बी. एस. ई की जानकारी के लिए।

19. बोर्ड के सभी विभाग प्रमुख।

20. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों के प्राचार्यों को भेजें।

21. वेब एडमिन, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करें।

22. मीडिया एवं जनसंपर्क, सीबीएसई - उचित प्रसार एवं प्रचार हेतु।





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-ए

नोडल अधिकारियों और खेल विधाओं की सूची			
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (TOPS) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (पूर्वी गेट) लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003. 011-21420712 tops.sai@gov.in	तीरंदाज	जूडो
		एथलेटिक्स	रोइंग
		बैडमिंटन	शूटिंग
		मुक्केबाजी	भारोत्तोलन
		साइकिलिंग	कुश्ती
		तलवारबाजी	तैराकी
		हॉकी	टेबल टेनिस
2	कार्यकारी निदेशक (TEAMS) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (पूर्वी गेट) लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003. 011-21420712 teams.sai@gov.in	प्राथमिकता	अन्य
		बास्केटबॉल	आठ्या पाठ्या
		बिलियर्ड्स और सूकर	बेसबॉल
		ब्रिज	बॉल बैडमिंटन
		शतरंज	बॉडी बिल्डिंग
		मूक बधिरों के खेल	कैरम
		घुड़सवारी	नेटबॉल
		फुटबॉल	मल्लखंभ
		गोल्फ	साइकिल पोलो
		जिम्नास्टिक्स	पोलो
		हैंडबॉल	टेनीकोइट
		कबड्डी	रोल बॉल
		खो-खो	पावरलिफ्टिंग
		कयाकिंग और पेनचक सिलाट	कैनोइंग
		पैरा खेल	टेनिस-बॉल क्रिकेट
		सेपक टकरा	टेन पिन बॉलिंग
		स्पेशल ओलंपिक भारत	सॉफ्ट टेनिस
		स्क्वैश	रस्साकशी





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

		ताइक्वांडो	जंप रोप
		टेनिस	सॉफ्ट बॉल
		वॉलीबॉल	कुडो
		बूशु	रोलर स्केटिंग
		नौकायन	शूटिंग बॉल
		योग	मोटर स्पोर्ट्स
		रग्बी	ट्रायथलॉन
			सिलंबम
			जू-जित्सु
			टेनिस वॉलीबॉल
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), चौथी मंज़िल, क्रिकेट सेंटर, वानखेड़े स्टेडियम, डी-रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400020, भारत 022-22898800 office@bcci.tv	क्रिकेट	
4	केंद्र निदेशक, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, बी. एन. पुरव मार्ग, मानखुर्द, मुंबई-400088, भारत 022-25072322 scioly@hbcse.tifr.res.in 022-25072207/2208 matholy@hbcse.tifr.res.in	सभी विज्ञान और गणित ओलंपियाड	



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-बी

सहभागिता प्रमाण पत्र			
(भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्र)			
(भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अपने लेटर हेड पर स्पष्ट हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जाएगा)			
प्रेषण संख्या		दिनांक	
1.	छात्र का नाम		
2.	कक्षा (10वीं / 12वीं)		
3.	स्कूल का नाम और पता		
4.	खेल विधा का नाम		
5.	क्या छात्र ने टूर्नामेंट में भाग लिया है या भाग लेने के लिए चुना गया है	पहले ही भाग ले चुका है	भाग लेने के लिए चयनित
6.	टूर्नामेंट का नाम		
7.	वह स्थान जहाँ टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है/हो चुका है		
8.	क्या यह एक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है?	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
9.	क्या यह टूर्नामेंट SAI द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं?	मान्यता प्राप्त	मान्यता प्राप्त नहीं
10.	टूर्नामेंट की वास्तविक तिथियाँ:	 से	 तक
11.	निवास स्थान/स्कूल से टूर्नामेंट स्थल तक यात्रा की वास्तविक तिथि (याँ)		
12.	टूर्नामेंट स्थल से निवास स्थान/स्कूल तक वापसी की वास्तविक तिथि (याँ)		
संबंधित विधाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (TOPS) या कार्यकारी निदेशक (TEAMS) के हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया जाना है			
जारी करने वाले विभाग की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर			
*यह प्रमाण पत्र SAI से सत्यापन के अधीन है।			





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-सी

सहभागिता प्रमाण पत्र			
(भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले छात्र)			
(भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा उनके लेटर हेड पर स्पष्ट हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जाना है)			
प्रेषण संख्या		दिनांक	
1.	छात्र का नाम		
2.	कक्षा (10वीं / 12वीं)		
3.	स्कूल का नाम और पता		
4.	खेल विधा का नाम		
5.	क्या छात्र ने टूर्नामेंट में भाग लिया है या भाग लेने के लिए चुना गया है	पहले ही भाग ले चुका है	भाग लेने के लिए चयनित
6.	टूर्नामेंट का नाम		
7.	वह स्थान जहाँ टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है/हो चुका है		
8.	क्या यह एक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है?	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
9.	क्या यह टूर्नामेंट SAI द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं?	मान्यता प्राप्त	मान्यता प्राप्त नहीं
10.	टूर्नामेंट की वास्तविक तिथियाँ:	से	तक
11.	निवास स्थान/स्कूल से टूर्नामेंट स्थल तक यात्रा की वास्तविक तिथि (याँ)		
12.	टूर्नामेंट स्थल से निवास स्थान/स्कूल तक वापसी की वास्तविक तिथि (याँ)		
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के		हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया जाएगा	
जारी करने वाले विभाग की ईमेल आईडी और फ़ोन नं			

यह प्रमाण पत्र BCI से सत्यापन के अधीन है।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-डी

सहभागिता प्रमाण पत्र

(होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्र)

(होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा उनके लेटर हेड पर स्पष्ट हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जाएगा)

प्रेषण संख्या

दिनांक

1.	छात्र का नाम		
2.	कक्षा (10वीं / 12वीं)		
3.	स्कूल का नाम और पता		
4.	खेल विधा का नाम		
5.	क्या छात्र ने टूर्नामेंट में भाग लिया है या भाग लेने के लिए चुना गया है	पहले ही भाग ले चुका है	भाग लेने के लिए चयनित
6.	टूर्नामेंट का नाम		
7.	वह स्थान जहाँ टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है/हो चुका है		
8.	क्या यह एक राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है?	राष्ट्रीय	अंतर्राष्ट्रीय
9.	क्या यह टूर्नामेंट SAI द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं?	मान्यता प्राप्त	मान्यता प्राप्त नहीं
10.	टूर्नामेंट की वास्तविक तिथियाँ:	 से	 तक
11.	निवास स्थान/स्कूल से टूर्नामेंट स्थल तक यात्रा की वास्तविक तिथि (याँ)		
12.	टूर्नामेंट स्थल से निवास स्थान/स्कूल तक वापसी की वास्तविक तिथि (याँ)		

केंद्र निदेशक, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के हस्ताक्षर

और मुहर के तहत जारी किया जाएगा

जारी करने वाले विभाग की ईमेल आईडी और फ़ोन नं

यह प्रमाण पत्र HBCSE से सत्यापन के अधीन है।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

अनुलग्नक-ई

सीबीएसई की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा - 2025-26 में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।

क्रम सं.	प्रश्न/पूछताछ	उत्तर/जवाब
1.	सीबीएसई द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों के लिए कौन से विशेष प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं?	उन छात्रों के लिए अलग से परीक्षा की सुविधा दी गई है जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेते हैं और जिनकी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं खेल आयोजनों की तारीखों के साथ टकराती हैं, जिसमें आयोजन के लिए यात्रा की तारीख भी शामिल है।
2.	खेल आयोजनों के लिए छात्रों के मामलों की सिफारिश करने हेतु जिम्मेदार अधिकृत संगठन/प्राधिकारी कौन से हैं? और खेल छात्रों के लिए परीक्षा पुनर्निर्धारण सुविधा का लाभ उठाने हेतु सीबीएसई द्वारा किसका प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा?	भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.एआ.ई) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई) और भारत में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त ओलंपियाड के लिए अर्थात् होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (एच.बी.सी.एस.ई.) जिम्मेदार संगठन हैं।
3.	मुख्य परीक्षा के दौरान खेल आयोजनों में भाग लेने वाले कक्षा X के छात्रों के लिए विशेष परीक्षा 2025-26 में कब आयोजित की जाएगी?	खेल आयोजन में भाग लेने वाले छात्रों की विशेष परीक्षा मई 2026 में आयोजित होने वाली दूसरी बोर्ड परीक्षा के साथ आयोजित की जाएगी।
4.	क्या होगा यदि कक्षा X का कोई छात्र उन विषयों में कंपार्टमेंट/ईआर प्राप्त करता है, जिनके लिए उसने खेल श्रेणी के तहत दूसरी बोर्ड परीक्षा दे चुका है?	छात्र बाद के परीक्षा वर्ष 2027 में बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा
5.	क्या खेल उम्मीदवार के लिए थ्योरी परीक्षा पुनर्निर्धारण की सुविधा पूरक परीक्षा के लिए भी उपलब्ध है?	नहीं, खेल उम्मीदवारों के लिए पुनर्निर्धारित सिद्धांत परीक्षा की सुविधा केवल मुख्य परीक्षा के लिए उपलब्ध है न कि पूरक परीक्षा के लिए।
6.	क्या परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है यदि खेल आयोजन की तारीख पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल/ प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की तारीख से टकराती है?	नहीं, ये सुविधाएँ केवल मुख्य सिद्धांत परीक्षा में उपलब्ध हैं। चूंकि प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आईए लगभग 45 दिनों की अवधि के लिए आयोजित किए जाते हैं और इसे इस तरह से तय किया जा सकता है कि किसी भी स्पर्धा/गतिविधि में भाग लेने वाला छात्र भी प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अन्य छात्रों के साथ उपस्थित हो सके।
7.	क्या बोर्ड द्वारा खेल-कूद से जुड़े विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति में कोई छूट दी जाती है?	परीक्षा उप नियम के नियम 13 (13.1 (i) क) के अनुसार मान्यता प्राप्त फेडरेशन/ सीबीएसई/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने वाले छात्रों के संबंध में "कम से कम 60% उपस्थिति, जो प्रयोगशाला में विषय में प्रैक्टिकल कार्य से जुड़े विषय (विषयों) को ले रहे हैं, जबकि बोर्ड के परीक्षा उपनियमों के नियम 6.5 (ii) के अनुसार नियमित छात्रों के लिए "परीक्षा के लिए पात्र होने





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

		हेतु उम्मीदवार को कक्षा IX, X, XI और XII के लिए आवश्यक उपस्थिति प्रतिशत (75%) पूरा करना होगा।" इसलिए, बोर्ड के नियमों से परे उपस्थिति में छूट को बढ़ाया नहीं जाएगा। इसके अलावा, उपस्थिति की माफी के लिए एसओपी के अनुसार जब भी स्कूल में उपस्थित नहीं होता है तो छूट के लिए वैध और आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
8.	इन सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया क्या है?	परीक्षा को फिर से निर्धारित किया जाता है और खेल उम्मीदवार के लिए केवल एक बार आयोजित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवारों या किसी भी संगठन से कोई सीधा अनुरोध सीबीएसई द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रक्रिया प्रवाह: -प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहले संबंधित संगठन को आवेदन करें। -एसओपी में उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्कूल में निवेदन प्रस्तुत करें। - जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है, उस स्कूल के प्रधानाचार्य, संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 15 दिसंबर तक, उचित सिफारिश के साथ सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनुरोध प्रस्तुत करेंगे।
9.	ऐसे मामलों में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?	शैक्षणिक वर्ष के शैक्षणिक वर्ष के नवीनतम 15 दिसंबर तक। । किसी भी परिस्थिति में बोर्ड द्वारा निर्धारित समय से परे विशेष अनुमति के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
10.	क्या यह सुविधा उन स्पोर्ट्स छात्रों के लिए भी है जिन्हें स्पर्धा के लिए प्रशिक्षण/चयन शिविर में शामिल होना है?	बोर्ड द्वारा खेल-कूद से जुड़े छात्रों को उनके चयन/प्रशिक्षण शिविरों (ट्रेनिंग कैम्प) के संबंध में परीक्षा को पुनर्निर्धारित की कोई सुविधा नहीं दी जाती है।
11.	क्या व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए कोई विशेष परीक्षा है?	नहीं। बोर्ड द्वारा तय की गई विशेष परीक्षा के अनुसूची के अलावा या उसके अतिरिक्त, किसी भी व्यक्तिगत छात्र के लिए कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
12.	कक्षा XII के लिए पुनर्निर्धारित परीक्षा कब आयोजित की जाती है?	अधिमानतः यह उस वर्ष की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट के अनुसार, अंतिम परीक्षा के 15 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी।
13.	क्या अलग-अलग छात्र निर्धारित समय सारिणी के बाहर विशेष परीक्षाओं का अनुरोध कर सकते हैं?	नहीं। विशेष परीक्षाएं केवल बोर्ड द्वारा तय की गई समय सारिणी के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

